

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3994/2015

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप माथुर।

:: आदेश ::

21.04.2017

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 1765/2015 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के क्रम में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के ऐतराज प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में माना जाता है।

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—